

Court No. - 13

Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 10854 of 2023

Applicant :- Sant Prasad

Opposite Party :- State Of Up Thru. Prin. Secy. Home Deptt. Lko. And Another

Counsel for Applicant :- Awadhesh Kumar Mishra, Arun Prakash Shukla

Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Karunesh Singh Pawar, J.

Heard learned counsel for the applicant and learned AGA for the State.

Notices to respondent no. 2 are dispensed with in view of the proposed order.

By this application, the applicant has prayed for the following relief:-

issue an order quash the impugned order dated 07.06.2019, passed in application U/s 239 Cr.pc dated 27.04.2019 by the Court of ACJM/FTC Naveen Gonda, contained in Annexure No. 1 to this Petition.

The application of the petitioner filed under Section 239 IPC has been rejected by the Civil Judge, FTC-Naveen, Gonda vide order dated 07.06.2019.

Perused the record.

The relevant part of the order dated 07.06.2019 passed by the Civil Judge, FTC-Naveen, Gonda is extracted below:-

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी मोहनी देवी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 156 (3) द० प्र० सं० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.07.2012 के अनुपालन में सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त सन्त प्रसाद, कृष्ण कुमार व विट्ठन देवी के विरुद्ध अपराध सं०-163 / 2012 धारा-45 420, 304, 201, 328 भा० द० सं० थाना छपिया जिला गोण्डा में पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक के द्वारा पत्रावली में गवाहान के सम्पूर्ण साक्ष्य एकत्र करते हुए मात्र अभियुक्त सन्त प्रसाद के विरुद्ध अपराध सं०-163 / 2012 धारा-420 भा० द० सं० के तहत विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया। वर्तमान समय में पत्रावली हाजिरी मुल्जिम में चल रही है और प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊ में रिट सं०-6099/2015 प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त उन्मोचन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि यह प्रकरण सन् 2012 से लम्बित है। अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र में जो स्वयं को उन्मोचित किये जाने हेतु कथन किया है कि अभियुक्त किसी प्रकार का छल-कपट धोखा नहीं किया है बल्कि उसके भाई ने स्वेच्छया एवं राजी खुशी से वसीयतनामा उसके हक में किया है जिससे वादिनी मुकदमा मोहनी देवी ने नाराज होकर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है, यह एक साक्ष्य का विषय वस्तु है और वसीयतनामा निष्पादित करते समय कोई प्रवचना की गयी है या नहीं यह साक्ष्य से ही स्पष्ट हो सकता है। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त का प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 239 द० प्र० सं० निरस्त किया जाता है। तदनुसार वादिनी मुकदमा की आपत्ति निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिम दिनांक 28.06.2018 को पेश हो।

Perusal of the impugned order shows that initially an FIR was lodged under Section 420/304/201/328 IPC, P.S. Chapiya, District Gonda against the number of accused persons, however, after conducting investigation, charge sheet has been filed only against the petitioner under Section 420

IPC. Presently the case is fixed for appearance of the accused. The trial is pending since 2012. It is an old trial. Defence of the petitioner that the complainant Mohani Devi after being annoyed has filed false case regarding execution of the will deed is subject matter of evidence as has been rightly held by the trial court.

It is not the rarest of the rare case to show indulgence. The petition fails and is accordingly dismissed.

Order Date :- 6.11.2023

R.C.